

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

जोश

बनाम दुकमान लहाय चौमूं

मुकदमा नम्बर :- 56/2019

त. 2

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/08/19	व.प्र. 35.1 प्रार्थी के उओर के फुलर कुमार सेनी कमील के पावर पेश किया। यप्रार्थी सं. 2 के रसि. एडि. रसी 3 पेश के। एक बस वाड में लेलक के प्रपत्ती वाड ललक सिमेंट 20/1/19 के पेश के।	
	20/9/19	व.प्र. 35.1 य प्रार्थी सं. 2 के रसि. एडि. रसी 3 के 2 लह के अधिक ल समय के कुमा के प्रतः इनके समिल लनी जाकर उनके विकट सक्रिय भावविधि यप्रार्थी में लानी फती - के प्रपत्ती वास्ते बलक त. 2. हेतु आगामी सिमेंट 17/10/19 के पेश के।	
	17/10/19	व.प्र. 35.1 बलक त. 2. दुनी गयी बलक पर मजब किया गया। प्रपत्ती पर अवलोकन इस्तौवेलात के अवलोकन किया गया। बस वाड ललक के स्थान निषेधाज्ञा के के प्रपत्ती के बस न्यायालय द्वारा सिमेंट 11/12/19 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी के हेतु के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा के वा - फलवा - मूल वाड कुलक किया जाक उचित मतिर होता है ताकि पक्षकार के नदर वाड बलकता न बडे। प्रतः इस न्यायालय द्वारा जारी - अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा सिमेंट 11/12/19 के वा फलवा मूल वाड कुलक किया जाक प्रपत्ती प्रपत्ती कुलक कुमार के डी नमूने से कर के तथा बस वाड के लात्र रहे।	

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)